

# फर्द अहकाम

भोरीलाल बनाम गोपीराम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 191/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	20/1/24	पत्रावली पेश हुई। वकूला द्वारा कन्डोलेंस बार्स स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं हो जा सकी। पत्रावली दिनांक 20/1/24 को पेश हो।
	21/1/25	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उप. तहसीलदार बस्सी से रिपोर्ट प्राप्त होकर शांति मिल गई। पत्रावली वास्ते आदेश तहसीलदार रिपोर्ट हेतु दिनांक 28/1/25 को पेश हो।
	28/1/25	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित पत्रावली वास्ते आदेश तहसीलदार रिपोर्ट हेतु दिनांक 29/1/25 को पेश हो।
	29/1/25	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 30/1/25 को पेश हो।
	30/1/25	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता एवं वादी स्वयं उपस्थित। वादी ने आदेशिका पर हस्ताक्षर किये एवं वादी की पट्टान वादी के अधिवक्ता श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा की गई। वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 खीपीसी का पेश कर निवेदन किया कि उक्त वाद में कुछ तकनीकी त्रुटियां हुई हैं जिससे कारण विभाजन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाया।

भोरीलाल  
I. d.  
30-1-2025

# फर्द अहकाम

श्रीश्रीलाल

बनाम गोपीराम

यालय : सहायक कलेक्टर, बरसी

दि/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

191/2024

दिनांक आशा  
या कार्यवाही

आशा विस्तृत रूप से

ही पा रहा है मतः नया वाद पेश करने की लखना के साथ उनवानी वादपत्र को विज्ञा कर खारिज करमाया की कृपा करें। प्रार्थी/वादी के प्रा-पत्र पर सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं प्रार्थी को प्रा-पत्र पर सुनने के उपरान्त न्यायद्वित को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 खीपीसी का स्वीकार किया जाकर नया वाद प्रस्तुत करने की स्वतन्त्रता प्रदान करते हुए उक्त वाद को विज्ञा करने की अनुमति प्रदान की जाती है अतः प्रार्थी का विज्ञा स्वीकार होने से वादी का वाद खारिज किया जाता है।

पत्रावली दर्ज नम्बर से उग होकर वाद तत्काल दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर  
बरसी जिला जयपुर